न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बिट्रेटर, हनुमानगढ़

तारीख हुक्म	प्र.मि. 393/2021 अनवान महेन्द्र बनाम CALA&SDO., हनुमानगढ़ व अन्य हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

26.08.2022

वकुलाए फरीकेन उपस्थित। बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी श्री महेन्द्र द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 3G(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रश्नगत प्रकरण भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 754-K हेतु अवाप्तशुदा भूमि चक 16 एस.एस.डब्ल्यू. पटवार हल्का कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़ के पत्थर नं. 129/294 मु. नं. 44 किला नं. 25, पत्थर नं. 130/294 मु. नं. 45 किला नं. 20, 21 कुल 0.759 हैक्ट. है जो अप्रार्थी सं. 03 व अन्य काश्तकार नन्दराम पुत्र चेलाराम के नाम से संयुक्त खाता की कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कागजात है जिसे अप्रार्थी सं. 03 व चेलाराम ने उक्त भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्त्रण करवाकर बालाजी विहार द्वितीय कॉलोनी नाम देकर आवासीय भूखण्ड काटकर बिक्रय किये गये। अप्रार्थी सं. 03 ने अपने हिस्से में से प्रार्थी को पत्थर नं. 130/294 मु. नं. 45 किला नं. 20 में से एक प्लॉट सं. 36 साईज 21.5 गुणा 45 फुट यानि 967.5 वर्गफुट (89.91 वर्गमीटर) का भूखण्ड जरिये पंजीयन बैयनामा निष्पादित कर बिक्रय किया गया है जिसे प्रार्थी द्वारा क्रय करने की दिनांक 10.07.2013 से प्रार्थी के नाम व कब्जा का है। इसलिए प्रार्थी की उक्त खरीदशुदा अवाप्त आवासीय प्लाटों की भूमि प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाकर उक्त भूमि का प्रस्ताव प्रार्थी के नाम से बनवाया जाकर सक्षम प्राधि.(भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ से प्रार्थी को मुआवजा राशि दिलवाये जाने के सम्बन्ध में। अप्रार्थी सं. 02 द्वारा प्रस्तुत जवाब व दौराने बहस कथनानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3H(3) के प्रावधानों के अनुसार अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि का वितरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा हकदार व्यक्तियों को भुगतान किया जावेगा। यदि उक्त रकम वितरण में किसी प्रकार का विवाद होने की दशा में अधिनियम की धारा 3H(4) के तहत प्रधान सिविल न्यायालय को उक्त विवाद के विनिश्चय के लिए निर्देशित कर सकता है– "यदि उक्त रकम या किसी भाग के प्रभाजन के बारे में या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसको उक्त रकम का या उसका कोई भाग संदेय है, कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सक्षम प्राधिकारी उस विवाद को आरम्भिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय को, जिसकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर वह भूमि स्थित है, विनिश्चिय के लिए निर्देशित करेगा।" इसलिए अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजे के वितरण का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को है एवं मुआवजा राशि वितरण में विवाद होने की दशा में सुनवाई का अधिकार केवल प्रधान सिविल न्यायालय को ही है।

उक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3G(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर है जिसमें इस न्यायालय को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित रकम(मुआवजा राशि) किसी पक्षकार को स्वीकार्य नहीं है तो उक्त रकम/मुआवजे के रूप में देय राशि का निर्धारण के सम्बन्ध में किसी पक्षकार के आवेदन पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार है। चूंकि उक्त प्रार्थना पत्र की विषयवस्तु अवॉर्ड राशि या मुआवजे के रूप में देय राशि का निर्धारण का न होकर एक से ज्यादा पक्षकारों में अवॉर्ड राशि वितरण से सम्बन्धित है। इसलिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3H(3) के प्रावधानों के अनुसार भूमि की मुआवजा राशि का वितरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा हकदार व्यक्तियों को भुगतान किये जाने का प्रावधान है व उक्त रकम के वितरण में किसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकार का विवाद होने की दशा में धारा 3H(4) के तहत विवाद के विनिश्चय के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुआवजा राशि वितरण का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रधान सिविल न्यायालय को प्रेषित कर सकता है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत अवाप्तशुदा भूमि की अवॉर्ड राशि के सम्बन्ध में सभी पक्षों की सुनवाई कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर शीघ्र मुआवजा राशि वितरित किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर एवं आर्बिट्रेटर हनुमानगढ़	